खबर संक्षेप

भोपाल में नाबालिग की हत्या, मां-मामा गिरफ्तार

भोपाल। भोपाल के पिपलानी इलाके में 17 साल की नाबालिग आयुषी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में पुलिस ने हत्या की एफआईआर दर्ज कर उसकी मां कमला और मामा विजय राय को गिरफ्तार किया है। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि आयुषी अपनी पसंद के युवक से शादी करना चाहती थी, जबकि उसकी मां कमला बेटी की शादी अपनी पसंद के युवक से करवाना चाहती थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था। पुलिस मामले की जांच ऑनर किलिंग के एंगल से भी कर रही है। पुलिस के मुताबिक आयुषी अपनी मां के साथ घरों में काम करती थी। परिवार में उसकी शादी को लेकर बातचीत चल रही थी। मां कमला चाहती थी कि आयुषी उसकी पसंद के युवक से शादी करे, जबकि आयुषी अपनी पसंद के युवक से शादी करना चाहती थी। इसी बात को लेकर मां-बेटी के बीच लगातार विवाद की स्थिति बनी हुई थी। पुलिस की जांच के अनुसार 26 अगस्त को शादी की बात को लेकर घर में एक बार फिर विवाद हुआ। आरोप है कि इसी दौरान कमला और उसके भाई विजय राय ने आयुषी का दुपट्टे से गला घोंट दिया। इससे उसकी मौत हो गई। आयुषी की मौत के बाद परिजन बिना पोस्टमार्टम कराए शव का अंतिम संस्कार करने की तैयारी में थे।

भोपाल में पुलिस बाइक ने बच्ची को टक्कर मारी, सिर में चोट आई

भोपाल। भोपाल के हबीबगंज थाना क्षेत्र के 11 नंबर इलाके में शनिवार शाम फरार बदमाश का पीछा कर रहे गुंडा स्क्वाड के दो पुलिसकर्मियों की बाइक आठ वर्षीय बच्ची से टकरा गई। बच्ची सड़क पर गिर गई और उसके सिर में चोट लगने से खून निकलने लगा। दोनों पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में थे, इसलिए मौके पर मौजूद लोग उन्हें पहचान नहीं सके। बच्ची के घायल होने से नाराज लोगों ने दोनों को घेर लिया और झूमाझटकी करने लगे। बाद में पुलिसकर्मियों ने आईडी दिखाकर अपनी पहचान बताई, जिसके बाद मामला शांत हुआ। पुलिस के मुताबिक कमला नगर थाने में संपत्ति हड़पने के मामले में फरार आरोपी की तलाश चल रही है। इसी सिलसिले में गुंडा स्क्वाड के पुलिसकर्मी दीपक कटियार और बलराम शनिवार शाम करीब 6 बजे 11 नंबर इलाके में पहुंचे थे। दोनों बाइक से आरोपी का पीछा कर रहे थे। आरोपी भी बाइक से भाग रहा था। इसी दौरान आठ वर्षीय बच्ची अचानक पुलिसकर्मियों की बाइक के सामने आ गई। टक्कर लगने से बच्ची सड़क पर गिर गई और उसके सिर में चोट लग गई। हादसे के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिसकर्मियों ने उसका पीछा छोड़कर घायल बच्ची को संभाला।

भोपाल में स्क्रैप कारोबारी ने किया सुसाइड

भोपाल। भोपाल के हबीबगंज थाना क्षेत्र स्थित 12 नंबर मल्टी (इंद्रा नगर) में शनिवार रात 50 वर्षीय स्क्रैप कारोबारी ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान गोपाल कनाडे पिता फत्तु कनाडे के रूप में हुई है। घटना के समय वह घर में अकेले थे। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल पता नहीं चला है। हबीबगंज पुलिस ने रविवार को पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया और मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार गोपाल कनाडे स्क्रैप का कारोबार करते थे। परिवार में उनकी पत्नी के अलावा एक बेटा और एक बेटी हैं। शनिवार को घटना के समय पत्नी मायके गई हुई थीं, जबकि दोनों बच्चे घर से बाहर थे। पुलिस के अनुसार शाम करीब 7 बजे गोपाल ने घर में रस्सी का फंदा बनाकर खिड़की के सहारे फांसी लगा ली। देर रात पत्नी मायके से वापस लौटीं तो घर का मेन गेट खुला था और गोपाल का शव फंदे पर लटका मिला।

भोपाल के कटारा में नगर निगम का पुतला फूंका

जलभराव-सड़कों के गड्ढों पर रहवासियों का गुस्सा फूटा, लोग बोले-बारिश में परेशानी बढ़ी

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

भोपाल के कटारा हिल्स स्थित अमलतास चौराहे पर रविवार को लोगों ने नगर निगम का पुतला फूंका। इलाके में जलभराव, गंदगी, बंद स्ट्रीट लाइटों को लेकर उनका गुस्सा फूटा। उनका कहना था कि बारिश में परेशानी ज्यादा बढ़ गई है। नगर निगम टैक्स तो पूरा वसूल रहा है, लेकिन सुविधाएं नहीं दे रहा। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी भी मौजूद रहे। जिन्होंने निगम के जिम्मेदारों को आड़े हाथों लिया। युवक कांग्रेस के अनिकेत द्विवेदी ने कहा कि वार्ड-85 के कई इलाकों में मूलभूत सुविधाएं नहीं है। ऊपर से समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। मुख्य सड़क से लेकर अंदरूनी सड़क तक में गड्ढे ही गड्ढे हैं। इससे निकलना मुश्किल हो रहा है। रात के समय स्ट्रीट लाइटें बंद रहती है। जिससे हादसा होने का खतरा बना रहता है। लोगों ने कहा कि तेज बारिश होते ही इलाके के कई स्थानों पर जलभराव हो जाता है और कॉलोनियों के आसपास पानी भरा रहता है। कीचड़ भी फैल रहा है। सफाई व्यवस्था भी ठीक नहीं है। इस वजह से हर व्यक्ति परेशान हैं।

पुलिस के सामने ही पुतला जलाया

कांग्रेसियों के साथ लोगों ने पुलिस के सामने ही नगर निगम का पुतला दहन किया। हंगामे की स्थिति को देखते हुए यहां पुलिस बल तैनात किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नगर निगम प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही वार्ड की मूलभूत समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया तो आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से और व्यापक किया जाएगा।

ये रहे मौजूद

प्रदर्शन में मध्य प्रदेश कांग्रेस झुग्गी-झोपड़ी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष निकेश सिंह चौहान, भोपाल युवा कांग्रेस ग्रामीण के अध्यक्ष राहुल मंडलोई, रोहित राजोरिया, शिवी शर्मा, लोकेंद्र शर्मा, अनिल मीणा, राजकुमार सिंह आदि मौजूद रहे।

बच्चों में ये संकेत दिखें तो सतर्क

एम्स ने बताया-दो हफ्ते का बुखार,वजन घटना और हड्डियों का दर्द कैंसर का अलर्ट

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

बच्चों में कैंसर की शुरुआत कई बार सामान्य बीमारी जैसी दिखाई देती है। लंबे समय तक बुखार, अचानक वजन कम होना या हड्डियों में दर्द जैसी शिकायतों को मामूली समझना भारी पड़ सकता है। एम्स भोपाल के विशेषज्ञों ने सामुदायिक चिकित्सा अधिकारियों को बच्चों में कैंसर के शुरुआती संकेत पहचानने और समय पर विशेषज्ञ अस्पताल भेजने के लिए प्रशिक्षित किया। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम से जुड़े सामुदायिक चिकित्सा अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में एम्स भोपाल के बाल रोग विभाग के प्रोफेसर एवं बाल रक्त रोग-कैंसर विशेषज्ञ नरेंद्र कुमार चौधरी और डीएम बाल रक्त रोग एवं कैंसर रेजिडेंट डॉ. मेघा धवन ने जागरूकता एवं शैक्षणिक सत्र लिए। प्रशिक्षण का आयोजन कैंकिड्स-किड्सकैन ने किया। विशेषज्ञों ने बताया कि यदि बच्चे को दो सप्ताह से ज्यादा समय तक बिना स्पष्ट कारण बुखार, बिना वजह वजन कम होना, असामान्य रक्तस्राव, लगातार हड्डियों में दर्द, शरीर में गांठ या सूजन जैसी समस्या हो तो चिकित्सकीय जांच जरूरी है। पेट में असामान्य सूजन भी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकती है। प्रशिक्षण में कुछ विशेष संकेतों पर भी ध्यान देने को कहा गया। सुबह के समय सिरदर्द के साथ उल्टी होना मस्तिष्क में गांठ का संकेत हो सकता है। वहीं शिशु या छोटे बच्चे की आंख में सफेद चमक या सफेद प्रतिबिंब दिखाई देना रेटिनोब्लास्टोमा यानी आंख के कैंसर का संकेत हो सकता है। ऐसे लक्षण दिखने पर बच्चे को जल्द चिकित्सकीय जांच के लिए ले जाने की सलाह दी गई। विशेषज्ञों के मुताबिक बचपन के कैंसर की जल्दी पहचान और सही समय पर उपचार मिलने पर 70 से 90 प्रतिशत तक बच्चों के ठीक होने की संभावना हो सकती है।

मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत

कुरवाई तहसील की 25 ग्राम पंचायतों में अधिकारियों ने किया निरीक्षण

विदिशा। मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के अंतर्गत जिला प्रशासन द्वारा जिले की कुरवाई तहसील की 25 ग्राम पंचायतों में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने निर्धारित ग्राम पंचायतवार भ्रमण एवं निरीक्षण किया। अधिकारियों ने ग्राम पंचायतों में पहुंचकर शासकीय कार्यालयों, भवनों, स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, स्वास्थ्य केंद्रों, उचित मूल्य दुकानों सहित अन्य शासकीय संस्थानों में संचालित व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी गई तथा पात्र हितग्राहियों को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ मौके पर ही दिलाया गया। कुरवाई तहसील के कांकर क्लस्टर अंतर्गत ग्राम पंचायत करैया, शेखपुर, दादूरार, नाउकुंड, टैंकू, तमोइया, कांकर, झगरिया, भौंरासा, जरगूंवा, राजपुर, पनावर एवं केथौरा तथा लायरा क्लस्टर अंतर्गत ग्राम पंचायत बासौदा, लचायरा, बरखेड़ा लायरा, मालिया खेड़ा, पाडोछा, लायरा, बरेठ, बरूअल, तलापार, सीहोरा, सिरावली एवं नगवासा में अधिकारियों द्वारा भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत किए जा रहे इन निरीक्षणों का उद्देश्य ग्राम स्तर पर शासकीय योजनाओं एवं सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ-साथ ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित निराकरण करना है।

भोपाल में कैट का व्यापारी सम्मेलन, एमपी के 250 प्रमुख व्यापारिक नेता शामिल हुए

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

भोपाल में रविवार को कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) का व्यापारी सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें मध्य प्रदेश के करीब 250 प्रमुख व्यापारिक नेता शामिल हुए। सम्मेलन का उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। चांदनी चौक से सांसद एवं कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल, कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया, राष्ट्रीय चेयरमैन बृजमोहन अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र जैन मौजूद रहे।

विधानसभा अध्यक्ष तोमर ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया वोकल फॉर लोकल का मंत्र केवल एक आर्थिक अभियान नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का राष्ट्रीय आंदोलन है। उन्होंने कहा कि भारतीय उत्पादों के उपयोग और प्रचार से देश के कारीगरों, लघु उद्योगों, स्टार्टअप्स तथा व्यापारिक समुदाय को नई शक्ति मिलती है। सांसद एवं कैट के राष्ट्रीय महामंत्री खंडेलवाल ने कहा, नई दिल्ली के भारत मंडपम में 12 से 15 अगस्त तक आयोजित भारतीय व्यापार महोत्सव ने देश के व्यापारिक इतिहास में एक नया अध्याय

जोड़ा है। इस महोत्सव के माध्यम से देश-विदेश के व्यापारिक प्रतिनिधियों, उद्यमियों और उद्योग जगत को एक बड़ा मंच मिला तथा हजारों करोड़ रुपए के व्यापारिक अवसर उत्पन्न हुए। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष भरतिया ने संगठनात्मक विषयों पर चर्चा करते हुए कहा कि कैट को देश के सबसे मजबूत व्यापारी संगठन के रूप में और अधिक सशक्त बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से संगठनात्मक जिम्मेदारियों का प्रभावी निर्वहन करने तथा व्यापारिक समुदाय की समस्याओं को प्राथमिकता से उठाने का आह्वान किया। राष्ट्रीय चेयरमैन अग्रवाल ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय उत्पादों के उपयोग और प्रचार-प्रसार को जनआंदोलन का स्वरूप दिया जाएगा। स्वदेशी वस्तुओं के प्रति उपभोक्ताओं का बढ़ता विश्वास भारत की आर्थिक मजबूती का आधार है। प्रदेश अध्यक्ष जैन ने राज्य के व्यापारियों और व्यापारिक संगठनों का आह्वान करते हुए कहा कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में व्यापारिक संगठनों को और अधिक सक्रिय एवं संगठित करें। साथ ही व्यापारियों को राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया से जोड़ें। प्रदेश मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र शर्मा ने कहा- भोपाल में आयोजित यह सम्मेलन मध्यप्रदेश के व्यापारिक समुदाय की एकजुटता और सामूहिक शक्ति का स्पष्ट संदेश है।

खरगे की सभा के बाद शुद्धिकरण पर घमासान

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की हल्द्वानी सभा के बाद कार्यक्रम स्थल के कथित शुद्धिकरण का मामला अब भोपाल पहुंच गया है। रविवार को मध्यप्रदेश कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के नेता और कार्यकर्ता एमपी नगर थाने पहुंचे और पुलिस को आवेदन देकर मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि खरगे की सभा खत्म होने के बाद भाजपा और आरएसएस से जुड़े लोगों ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर गंगाजल छिड़ककर मंच और मैदान का कथित शुद्धिकरण किया। कांग्रेस ने इसे सामाजिक भेदभाव और छुआछूत की मानसिकता से जोड़ते हुए कड़ी आपत्ति जताई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस को दिए आवेदन में कहा कि किसी नेता की सभा के बाद उसके मंच या कार्यक्रम स्थल को शुद्ध करने की कार्रवाई सामाजिक रूप से आपत्तिजनक है। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे छुआछूत और भेदभाव जैसी सोच को बढ़ावा मिलता है। कांग्रेस ने संबंधित लोगों के खिलाफ अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की है।

कांग्रेस के कई पदाधिकारी पहुंचे थाने: शिकायत देने वालों में अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार, प्रदेश प्रवक्ता अभिनव बारोलिया, प्रदेश उपाध्यक्ष एवं कार्यालय प्रभारी मुकेश बंसल, संगठन महामंत्री रमेश चंद्र बकोरिया, प्रदेश सचिव जगदीश रोहर व महेश वर्मा और जिला अध्यक्ष नीरज चंडाले समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे।

हल्द्वानी की सभा से जुड़ा है मामला: मामला उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुई मल्लिकार्जुन खरगे की जनसभा से जुड़ा है। कांग्रेस के अनुसार सभा समाप्त होने के बाद कुछ लोगों ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर गंगाजल का छिड़काव किया और मंच-मैदान के कथित शुद्धिकरण की बात सामने आई। अब कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग ने भोपाल पुलिस से इस मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ एफआईआर और कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

भोपाल की सड़कों पर उतरा किन्नर समाज

भुजरिया जुलूस में जमकर डांस, ढोल-नगाड़ों के साथ सैकड़ों लोग हुए शामिल

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

राजधानी में रविवार को किन्नर समाज का भव्य भुजरिया जुलूस निकला। रंग-बिरंगे परिधानों और आकर्षक श्रृंगार में सजे किन्नर ढोल-नगाड़ों की थाप पर नाचते-गाते शहर की सड़कों से गुजरे। जुलूस जिस रास्ते से निकला, वहां लोगों की भीड़ इसे देखने के लिए जमा हो गई। कई लोगों ने अपने मोबाइल में इस आयोजन के दृश्य भी कैद किए। जुलूस में शामिल किन्नरों में खासा उत्साह नजर आया। ढोल-नगाड़ों और संगीत के बीच उन्होंने जमकर नृत्य किया। पारंपरिक परिधानों और श्रृंगार में सजे किन्नरों ने पूरे रास्ते खुशी का इजहार किया। उनके साथ चल रहे लोगों ने भी उत्साह बढ़ाया।

कलेक्टर कार्यालय से गुफा मंदिर तक पहुंचा जुलूस: भुजरिया जुलूस ने शहर के कई प्रमुख इलाकों से होकर अपना सफर

तय किया। यह कलेक्टर कार्यालय के सामने से गुजरते हुए गुफा मंदिर पहुंचा। रास्ते में घरों, दुकानों और सड़क किनारे बड़ी संख्या में लोग जुलूस को देखने के लिए खड़े रहे। जुलूस के गुजरने के दौरान कई जगह उत्सव जैसा माहौल नजर आया। लोगों में आयोजन को लेकर उत्सुकता रही और बड़ी संख्या में शहरवासियों ने इसे देखा।

एकजुटता और सांस्कृतिक पहचान का संदेश: किन्नर समाज के लिए यह आयोजन केवल उत्सव तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सामाजिक एकजुटता और सांस्कृतिक पहचान को सामने लाने का अवसर भी बना। जुलूस में शामिल लोगों ने खुशी, भाईचारे और समाज के साथ मिलकर आगे बढ़ने का संदेश दिया।

खून से लिखा सरकार को खत, शिक्षक अभ्यर्थियों का फूटा गुस्सा

भोपाल। मध्यप्रदेश में वर्ग-2 और वर्ग-3 शिक्षक भर्ती में पद बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों का प्रदर्शन अब और तीखा हो गया है। 10 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे अभ्यर्थियों ने मजबूरी में शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के नाम अपने खून से पत्र लिखा। अभ्यर्थियों का कहना है कि इतने दिनों से आंदोलन के बावजूद सरकार का कोई अधिकारी, मंत्री या प्रतिनिधि उनसे बातचीत करने नहीं पहुंचा। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि सरकार और लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा वास्तविक स्थिति से गुमराह किया जा रहा है। उनका दावा है कि प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों के हजारों पद लंबे समय से खाली हैं, इसके बावजूद भर्ती में सीमित पद ही निकाले जा रहे हैं। अभ्यर्थियों के मुताबिक, स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग में प्राथमिक शिक्षक के करीब 1.09 लाख पद रिक्त हैं। उनका कहना है कि 2022 और 2023 में प्राथमिक शिक्षकों के माध्यमिक शिक्षक पद पर पदोन्नत होने के बाद बड़ी संख्या में प्राथमिक शिक्षक के पद खाली हुए। इसके बावजूद पर्याप्त पदों पर भर्ती नहीं की गई।

नाम परिवर्तन सूचना

मेरा नाम आंचल सेन पिता अभयराज सेन (ANCHAL SEN W/O ABHAY RAJ SEN) निवासी: वार्ड नंबर 14, नल के पास ग्राम बारों रीवा मध्य प्रदेश हैं। परंतु मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम आचल सेन पिता अभयराज सेन (AACHAL SEN W/O ABHAY RAJ SEN) अंकित हो गया हैं, जो की गलत है मेरा वास्तविक सही नाम अंकसूची प्रमाण शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है।

प्रकाशन उपरांत मेरा नाम आंचल सेन पिता अभयराज सेन (ANCHAL SEN W/OABHAY RAJ SEN) के नाम से जाना, पहचाना व पढ़ा जावें।

पुराना नाम-आचल सेन (AACHAL SEN)
नया नाम-आंचल सेन (ANCHAL SEN)

आवेदक-आंचल सेन

नाम परिवर्तन सूचना

मेरे पुत्र का नाम लकी विश्वकर्मा पुत्र विष्णु विश्वकर्मा (LUCKY VISHWKARMA S/O VISHNU VISHWKARMA) निवासी- वार्ड नंबर 13 उन्चोद शाजापुर मध्य प्रदेश हैं। परंतु मेर पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम लक्की सुतार पुत्र विष्णु सुतार (LAKKI SUTAR S/O VISHNU SUTAR) अंकित हो गया हैं, जो की गलत है मेरे पुत्र का वास्तविक सही नाम उसके शैक्षणिक दस्तावेजों और जन्म प्रमाण पत्र में भी दर्ज है।

प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र का नाम लकी विश्वकर्मा पुत्र विष्णु विश्वकर्मा (LUCKY VISHWKARMA S/O VISHNU VISHWKARMA) के नाम से जाना, पहचाना व पढ़ा जावें।

पुराना नाम-लकी सुतार पुत्र विष्णु सुतार (LUCKY SUTAR S/O VISHNU SUTAR)
नया नाम-लकी विश्वकर्मा पुत्र विष्णु विश्वकर्मा (LUCKY VISHWKARMA S/O VISHNU VISHWKARMA)

आवेदक-विष्णु विश्वकर्मा

नाम परिवर्तन सूचना

मेरी पुत्री का नाम करीना मखोड़िया (kareena makhodiya) पुत्री सुरेश मखोड़िया निवासी गेलरकला झाबुआ मध्य प्रदेश हैं। परंतु मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम करीना मखोड़िया (kareen makhodiya) अंकित हो गया हैं, जो की गलत है मेरी पुत्री का वास्तविक सही नाम उसके शैक्षणिक, जन्म प्रमाण पत्र दस्तावेजों में भी दर्ज है। प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री का नाम करीना मखोड़िया (kareena makhodiya) पुत्री सुरेश मखोड़िया के नाम से जाना, पहचाना व पढ़ा जावें।

भवदीय-सुरेश मखोड़िया

नाम परिवर्तन सूचना

मेरा नाम नरेंद्र सिंह राजपूत (NARENDRA SINGH RAJPOOT) पुत्र पन्ना लाल राजपूत निवासी ग्राम पंचायत सूरजपुरा खुर्द तहसील बड़ामलहरा जिला छतरपुर मध्य प्रदेश हैं। परंतु मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम नारद सिंह राजपूत (NARAD SINGH RAJPOOT) अंकित हो गया हैं, जो की गलत है मेरा वास्तविक सही नाम मूल निवासी में भी दर्ज है दोनों नाम एक ही व्यक्ति का है। प्रकाशन उपरांत मेरा नाम नरेंद्र सिंह राजपूत (NARENDRA SINGH RAJPOOT) पुत्र पन्ना लाल राजपूत के नाम से जाना, पहचाना व पढ़ा जावें।

भवदीय-नरेंद्र सिंह राजपूत

नाम परिवर्तन सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, निमित्त जैन, आयु वयस्क, निवासी-वार्ड नं. 19, गल्ला मंडी के पास, शिव कॉलोनी, आई.टी.आई. रोड, होशंगाबाद (म.प्र.) है। मेरी सी.बी.एस.ई. बोर्ड में कक्षा 10 वी की अंकसूची में त्रुटिवश मेरे पिताजी का नाम नीरज जैन (NEERAJ JAIN) अंकित हो गया है जो कि गलत है। मेरे एवं मेरे पिताजी का वास्तविक सही नाम निमित्त जैन पिता नीरज कुमार जैन (NIMITT JAIN S/O NEERAJ KUMAR JAIN) है जो मेरे जन्म प्रमाण पत्र एवं मेरे आधार कार्ड में दर्ज है जिसे समस्त शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजो में भी दर्ज किया जावे।

प्रकाशन उपरान्त मुझे निमित्त जैन पिता नीरज कुमार जैन (NIMITT JAIN S/O NEERAJ KUMAR JAIN) के नाम से जाना-पहचाना, व लिखा-पढ़ा एवं दर्ज किया जावे।

पुराना नाम-निमित्त जैन पिता नीरज जैन (NIMITT JAIN S/O NEERAJ JAIN)
नया नाम-निमित्त जैन पिता नीरज कुमार जैन (NIMITT JAIN S/O NEERAJ KUMAR JAIN)

न्यायालय तहसीलदार, वृत्त-3, तहसील-हुजूर, जिला भोपाल, मप्र

प्रकरण क्रमांक-0560/अ-3/25-26
मौजा-झागरिया खुर्द प.ह.न.-71

उद्घोषणा पत्र

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक प्रहलाद सिंह पिता वुलाखी निवासी ग्राम झागरिया खुर्द तहसील हुजूर जिला भोपाल, मप्र के द्वारा भू. राजस्व सहिता 1959 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर ग्राम झागरिया खुर्द प.ह.न.71 भूमि खसरा क्रमांक 90/2 रकबा 0.4330 हे. भूमि का राजस्व नक्शे बटान अंकित करने का अनुरोध किया है।

2.-उक्त संबंध में किसी व्यक्ति /संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से पेश कर सकता है। समयावधि पश्चात् प्रस्तुत आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। प्रकरण में आगामी कार्यवाही हेतु पेशी दिनांक 02/09/2026 नियत की जाती है।

तहसीलदार
तहसील-हुजूर भोपाल

न्यायालय तहसीलदार वृत्त-3 तहसील-हुजूर जिला भोपाल

प्रकरण क्रमांक-3946/अ-6/26-27
मौजा-भौरी तहसील हुजूर, भोपाल

उद्घोषणा पत्र

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री सत्यम श्रीवास्तव आत्मज श्री कृष्णकान्त खरे निवासी मकान नम्बर 24 संयुक्त विहार बरखेड़ा पठानी भोपाल मप्र ने द्वारा म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 की धारा 109, 110 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दस्तावेज क्रमांक 4/1530 दिनांक 13/08/2014 के आधार पर भूमि खसरा क्रमांक 147/1/2/4 कुल रकबा में से 90.17 वर्गमीटर भूमि ग्राम भौरी प.ह.न. तहसील हुजूर जिला भोपाल का नामांतरण राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम स्वीकृत किए जाने का अनुरोध किया गया है। आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के संलग्न रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की छायाप्रति एवं राजस्व अभिलेखों की नकल प्रस्तुत की गई है।

2-उक्त संबंध में किसी व्यक्ति /संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से प्रकरण में नियत पेशी दिनांक 03/09/2026 को या इससे पूर्व इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है। समयावधि पश्चात् प्रस्तुत किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

उक्त उद्घोषणा पत्र मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 24/08/2026 को जारी किया गया।

तहसीलदार
तहसील-हुजूर भोपाल

न्यायालय तहसीलदार वृत्त-3 तहसील-हुजूर जिला भोपाल

प्रकरण क्रमांक-3948/अ-6/26-27
मौजा-भौरी तहसील हुजूर, भोपाल

उद्घोषणा पत्र

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री सत्यम श्रीवास्तव आत्मज श्री कृष्णकान्त खरे निवासी मकान नम्बर 24 संयुक्त विहार बरखेड़ा पठानी भोपाल मप्र ने द्वारा म.प्र.भू.रा. संहिता 1959 की धारा 109, 110 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दस्तावेज क्रमांक 2/1866 दिनांक 24/03/2015 के आधार पर भूमि खसरा क्रमांक 147/1/2/4 कुल रकबा में से 90.17 वर्गमीटर भूमि ग्राम भौरी प.ह.न. तहसील हुजूर जिला भोपाल का नामांतरण राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम स्वीकृत किए जाने का अनुरोध किया गया है। आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के संलग्न रजिस्टर्ड वि य पत्र की छायाप्रति एवं राजस्व अभिलेखों की नकल प्रस्तुत की गई है।

2-उक्त संबंध में किसी व्यक्ति /संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से प्रकरण में नियत पेशी दिनांक 03/09/2026 को या इससे पूर्व इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है। समयावधि पश्चात् प्रस्तुत किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

उक्त उद्घोषणा पत्र मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 24/08/2026 को जारी किया गया।

तहसीलदार
तहसील-हुजूर भोपाल

न्यायालय तहसीलदार वृत्त-3 तहसील-हुजूर जिला भोपाल

प्रकरण क्रमांक-3947/अ-6/26-27
मौजा-भौरी तहसील हुजूर, भोपाल

उद्घोषणा पत्र

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री सत्यम श्रीवास्तव आत्मज श्री कृष्णकान्त खरे निवासी मकान नम्बर 24 संयुक्त विहार बरखेड़ा पठानी भोपाल मप्र, ने द्वारा म.प्र.भू.रा. संहिता 1959 की धारा 109, 110 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दस्तावेज क्रमांक 4/1534 दिनांक 13/08/2014 के आधार पर भूमि खसरा क्रमांक 147/1/2/ख नया खसरा 147/1/2/4 कुल रकबा मे से 970 वर्गफिट भूमि ग्राम भौरी प.ह.न. 53 तहसील हुजूर जिला भोपाल का नामांतरण राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम स्वीकृत किए जाने का अनुरोध किया गया है। आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के संलग्न रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की छायाप्रति एवं राजस्व अभिलेखों की नकल प्रस्तुत की गई है।

2-उक्त संबंध में किसी व्यक्ति /संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से प्रकरण में नियत पेशी दिनांक 03/09/2026 को या इससे पूर्व इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है। समयावधि पश्चात् प्रस्तुत किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

उक्त उद्घोषणा पत्र मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 24/08/2026 को जारी किया गया।

तहसीलदार
तहसील-हुजूर भोपाल

न्यायालय तहसीलदार वृत्त-3 तहसील-हुजूर जिला भोपाल

प्रकरण क्रमांक-3949/1-6/26-27
मौजा-भौरी तहसील हुजूर, भोपाल

उद्घोषणा पत्र

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री सत्यम श्रीवास्तव आत्मज श्री कृष्णकान्त खरे निवासी मकान नम्बर 24 संयुक्त विहार बरखेड़ा पठानी भोपाल मप्र ने द्वारा म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 की धारा 109, 110 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दस्तावेज क्रमांक 4/2785 दिनांक 09.12.2014 के आधार पर भूमि खसरा क्रमांक 147/1/2/ख नया खसरा 147/1/2/4 कुल रकबा में से 970 वर्गफिट भूमि ग्राम भौरी प.ह.न. 53 तहसील हुजूर जिला भोपाल का नामांतरण राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम स्वीकृत किए जाने का अनुरोध किया गया है। आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के संलग्न रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की छायाप्रति एवं राजस्व अभिलेखों की नकल प्रस्तुत की गई है।

2-उक्त संबंध में किसी व्यक्ति /संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से प्रकरण में नियत पेशी दिनांक 03/09/2026 को या इससे पूर्व इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है। समयावधि पश्चात् प्रस्तुत किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

उक्त उद्घोषणा पत्र मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 24/08/2026 को जारी किया गया।

तहसीलदार
तहसील-हुजूर भोपाल

आम सूचना नाम परिवर्तन

मैं, नावेद मोहम्मद पिता नूर मोहम्मद, आयु वयस्क, निवासी वार्ड नं. 09, राम नगर मंडीदीप, पोस्ट मंडीदीप तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन, म.प्र. का निवासी हूँ। परन्तु मेरे पुत्र के आधार कार्ड में मेरे पुत्र का नाम मोजमील मोहम्मद कुरैशी (MOZAMIL MOHAMMAD KURESHI) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। मेरे पुत्र का वास्तविक सही नाम मुज़म्मिल मोहम्मद (MUZAMMIL MOHAMMAD) है। जो कि मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज होने से प्रमाणित है, जिसे मैं अपने पुत्र के आधार कार्ड में दर्ज करवाना चाहता हूँ।

प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र का नाम मुज़म्मिल मोहम्मद (MUZAMMIL MOHAMMAD) के नाम से जाना जाए। तथा सभी शासकीय अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरे पुत्र का नाम मुज़म्मिल मोहम्मद के नाम से जाना पहचाना व पढ़ा जाए।

पुराना नाम-मोजमील मोहम्मद कुरैशी (MOZAMIL MOHAMMAD KURESHI)
नया नाम-मुज़म्मिल मोहम्मद (MUZAMMIL MOHAMMAD)

भवदीय
नावेद मोहम्मद पिता नूर मोहम्मद निवासी वार्ड नं. 09, राम नगर, मंडीदीप, पोस्ट मंडीदीप तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन, म.प्र.